

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

:: अधिसूचना ::

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त, 2013

क.सी. 5-1-2013-3-एक.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(सेवा की शर्त) नियम, 2013 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"7. उपदान.- (1) अधिवार्षिकी पर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उपदान का हकदार होगा। कर्मचारी को रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) केवल से अधिक की राशि का उपदान के रूप में भुगतान किया जाएगा, जो उसकी पन्द्रह दिन की मजदूरी के आधार पर संगणित की जाएगी :


परन्तु उपदान की राशि में, नियम 5, के उपनियम (2) में यथाविहित विशेष शर्तों की राशि सम्मिलित नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जो कर्मचारी नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन हटा दिए गए हैं, उपदान के हकदार नहीं होंगे।

- (2) उपदान में कटौती नियम 10 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट कदाचार के लिए अनुपातिक आधार पर किया जाएगा।
- (3) उपदान की गणना कर्मचारी के नियंत्रणकर्ता अधिकारी के कार्यालय द्वारा की जाएगी।
- (4) किसी कर्मचारी के लिए उपदान के लिए पात्र होने के लिए पांच वर्ष की निरन्तर सेवा आवश्यक होगी :

परन्तु मृत्यु और शारीरिक निर्योग्यता की दशा में यह शर्त लागू नहीं होगी।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(आर.के. राजगोपाल)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त, 2013

क्रमांक सी. 5-1-2013-3-एक,- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के खण्ड(3) के अनुसार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-5-1-2013-3-1 दिनांक 20 अगस्त, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(आर.के. गजभिये)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
MANTRALAYA, VALLABH BHAWAN, BHOPAL

NOTIFICATION

Bhopal, dated: 20 August, 2013

File No. C-5-1-2013-3-1: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Daily Wage Employees (Conditions of Service) Rules, 2013, namely:-

AMENDMENT

In the said rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-

"7. Gratuity.- (1) At the age of superannuation, the daily wage employee shall be entitled for the gratuity. Employee shall be paid an amount not exceeding Rs.1,00,000/- (Rupees One Lakh) only as gratuity, which shall be calculated on the basis of his wages of fifteen days:

Provided that the amount of gratuity shall not include the amount of special allowances as prescribed in sub-rule (2) of rule 5:

Provided further that the employees who has been terminated under sub-rule (1) of rule 10 shall not be entitled for gratuity.


(2) Deduction in the gratuity shall be made on the basis of pro-rata for the misconducts specified in sub-rule (2) of rule 10.

(3) The calculation of gratuity shall be done by the office of the Controlling Officer of the employee.

(4) Five years continuous service shall be essential for an employee to become eligible for the gratuity:

Provided that in case of death and physical disability this condition shall not be applicable.

by order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,



(R. K. GAJBHIYE)
Deputy Secretary

Govt. of Madhya Pradesh
General Administration Department